

उत्तर प्रदेश शासन

पर्यावरण अनुभाग-2

संख्या-N6T4/55-पर्या-2-2017-49(पर्या)/2017

लखनऊ: दिनांक 14 दिसम्बर, 2018

कार्यालय ज्ञाप

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-673/2018 NEWS ITEM PUBLISHED IN 'THE HINDU' AUTHORED BY SHRI, JACOB KOSHY Titled "More river stretches are now critically polluted: CPCB के अंतर्गत दिनांक 20.09.2018 को पारित आदेशों के क्रम में निम्नवत् "River Rejuvenation Committee" (RRC) का गठन किया जाता है :-

- | | |
|--|-------|
| 1. निदेशक, पर्यावरण निदेशालय, उ0प्र0 | सदस्य |
| 2. विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन | सदस्य |
| 3. निदेशक, उद्योग विभाग, उ0प्र0 | सदस्य |
| 4. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ | सदस्य |


उपर्युक्त "River Rejuvenation Committee" (RRC) मा0 एन0जी0टी0 के आदेशानुसार नदियों के polluted stretches में जलगुणता स्नान योग्य बनाये रखने हेतु एक्शन प्लान तैयार करेगी तथा एक्शन प्लान के क्रियान्वयन कि अनुश्रवण समिति भी होगी। प्रश्नगत कमेटी प्रमुख सचिव, पर्यावरण, उ0प्र0 शासन के पर्यवेक्षण एवं समन्वय में कार्य करेगी।

(कल्पना अवस्थी)
प्रमुख सचिव।

^{N6T}
संख्या-4/40/55-पर्या-2-2017-49(पर्या)/2017, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, पर्यावरण निदेशालय, उ0प्र0।
2. विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. निदेशक, उद्योग विभाग, उ0प्र0।
4. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, पर्यावरण को प्रमुख सचिव महोदया के अवलोकनार्थ।

आज्ञा से

(भारत प्रसाद)
अनु सचिव।